उपयोग के नियमों का सरल भाषा में सारांश :-

1.इस आवास मे किसे रहने की अनुमति है?

***यदि आपके पास वैध रुप मे निवास परमिट है तो आपको यहां रहने की अनुमति है।**

***आपको यहां रहने की अनुमति तब समाप्त होता है जब आपको नया परमिट नहीं मिलता या फिर आपको वापस आपने मूल देश में जाने के लिए बोल दिया या वापस भेजा जाता है।**

2. रोजमर्रा की जिन्दगी को बिताने के 21 नियम

***आपको समाजिक कार्यकर्ता के लिए हर समय उपलब्ध रहना होगा और अपनी अनुपस्थिति की सूचना उन्हें देनी होगी।**

***आपको आपने निवास परमिट मे मिले क्षेत्र में ही घुमने या यात्रा करने की अनुमति है।**

***आपको बुनियादी सामान (जैसे बिस्तर की चादरें, बर्तन) आदि दिये जाएंगे।**

***फर्नीचर और साजो-सामान में अदला-बदली या परिवर्तन नहीं कर सकते।**

3. साफ़ - सफाई व अन्य नियम

***आपको हर हफ्ते में एक बार कमरे की सफाई करनी होगी।**

***रसोई और स्नानघर साफ़-सुथरे रखने होगें।**

***दिन में दो बार कम से कम 30 मिनट तक कमरे को हवा (वैंटिलेशन) लगाना होगा।**

***रात को 22:00बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक शान्ति का समय है।**

4.कया-कया वर्जित है?

***किसी भी (टैकनिक) प्रयोगी वस्तु में या फिर ईमारत में प्रवर्तन मना है।**

***घर के अंदर धुम्रपान या खुली आग का जलाना मना है।**

***निजी समान जैसे माइक्रोवेव या चुला आदि मना है।**

***शोरशाराबा, कोई घरेलु जानवर, हथियार या फिर नशीले पदार्थ (ड्रग्स) आदि मना है।**

***कचरे का अवैध रूप में निपटारा करना या चलने वाले रास्ते में बाधा डालना मना है।**

***खुद के लिए कोई विज्ञापन देना या किसी ऐसी वस्तु को बेचना या फिर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना मना है।**

5.घर मे लगाए जाने वाले प्रतिबंध

***जिला कार्यकर्ता किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति पर घर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है।**

***प्रतिबंध को तोड़ने पर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जाएगी।**

***हर आने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाना और पंजीकरण कराना होगा।**

***मिलने का समय सुबह 8:00 बजे से लेकर रात को 22:00 बजे तक है।**

***रात को रुकने के लिए पैसे लगते हैं. (€ 4 प्रति रात)।**

*बिना पंजीकरण कराएं व्यक्ति को जाना होगा नहीं तो उस के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी जाएगी।

* 18 साल की कम उम्र के लोगों को अपने माँ बाप की इजाजत लेनी होगी।

6. रिपोर्टिंग (सुचना देना)

*आपको ऊसी समय सूचना देनी है उदाहरण के लिए यदि :-

! आग लगने का खतरा है

! कोई बहूत ज्यादा बिमार है

! कीड़े-मकोड़े आदि

! कोई अपराध जनक घटना घटती है

! कोई बिजली से चलने वाला उपकरण या बिजली की तार खराब है आदि

7.नियत्रण (कन्ट्रोल)

*बिना सुचना दिए आप के कमरे का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

*प्रतिबंधित (मना की हुई) वस्तुएं जब्त कर ली जाएगी।

8. वाहनों सम्बन्धित

*घर की चारदीवारी के अन्दर वाहन चलाने की मनाही है।

*साईकिल को पैदल बाहर लेकर जाना होगा।

9.भुगतान अत्यादि

*आप अगर किसी भी चीज़ को तोडते या खराब करते हो तो आप को उस का भुगतान करना होगा।

*कोई भी उपकरण के खो जाने के बाद आप को उस की जगह दुसरा लेकर देना होगा।